न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2018

अपीलांट

1. राजूराम
2. चैनाराम पिसरान पूनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. चुन्नीलाल पुत्र श्री बोहरारामजी
2. रूपाराम पुत्र श्री बोहरारामजी जातिगण सीरवी निवासीगण सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।
3. लालाराम पुत्र लुम्बाराम
4. हेमाराम
5. जीवाराम
6. दीपाराम पिसरान दुर्गारामजी
7. भूरकी पत्नी धन्नाराम
8. दलाराम
9. तुलसाराम
10. बुधाराम पिसरान धन्नाराम जातियान सीरवी निवासीयान सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।
11. विक्रमसिंह
12. लोकेशसिंह पिसरान मदनसिंह जाति राजपूत निवासी सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।
13. भीकमचंद पुत्र चिमनाराम
14. निलेश पुत्र भीकमचंद
15. आशा कुमारी पत्नी सम्पतराज
16. दीपा कुमारी पत्नी धनराज
17. प्रेमकुमारी पत्नी गोपालसिंह
18. एकता कुमारी पुत्री भीकमचंद
19. नीतू पुत्री भीकमचंद जातियान कलाल निवासीगण निलेश भवन कृषि मंडी के सामने तहसील व जिला पाली।
20. श्रीमती कमला पत्नी वेदप्रकाश कौम शर्मा ब्राहमण निवासी जयपुर
21. कोराराम पुत्र जावताराम, जाति देवासी निवासी सुरायता तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22. तहसीलदार सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेश ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 22 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा मुकदमा संख्या 157/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 21 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 360 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 392, 394 में रास्ता प्रदान कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 05 से 10 एवं 21, 22 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 392, 393, 394 उनकी एवं अन्य सहखातेदारान जिन्हे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया कि संयुक्त खातेदार आराजी है। जिसका बंटवाडा नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को उक्त आराजी से रास्ते की मांग को अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिर्पोट अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तैयार की गई। उक्त मौका रिर्पोट अनुसार खसरा नंबर 392 प 394 के मध्य खसरा नंबर 393 दर्शाया है एवं रिर्पोट के साथ प्रस्तुत नक्शा में लाल रंग से अंकित प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 393 से भी बताया है। जबकि खसरा नंबर 393 से रास्ते के संबघ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा कोई क्लेम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश में खसरा नंबर 392, 393, 394 में पूर्व रास्ता था जो वर्तमान में बंद होने की अभिव्यक्ति बिना प्रमाण के व्यक्त की है। एवं बंद रास्ते को खुलवाने का अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को है। अगर ग्राम पंचायत निर्धारित अवधि में इसका निष्पादन करने में असमर्थ रहती है तो तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किया जाना वांछित रहता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत खसरा नंबर 392, 393, 394 में पूर्व में एक रास्ता था जो वर्तमान में बंद है एवं इस पर आवामगन के अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का होना माना है। किन्तु ऐसे रास्ते जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के आवागमन का सुखाधिकार है कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 360 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 392, 394 में रास्ता प्रदान कराने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 ए उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत कर खसरा नंबर 392, 394 से रास्ते प्रदान कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत से उक्त खसरो की मौका रिर्पोट तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 1810.2017 के अनुसार मौके पर खसरा नंबर 394, 393, 392 में से होते हुए खसरा नंबर 360 तक जाने हेतु एक रास्ता है जो वर्तमान मौका निरीक्षण में बिल्कुल बंद पडा है। इसके अतिरिक्त खसरा नंबर 360 में आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। एवं खसरा नंबर 393 सीलिंग से प्रभावित है।" की रिर्पोट प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 393 के सम्बद्ध खातेदारो का पक्षकार नही बनाने एवं खसरा नंबर 393 सीलिंग से प्रभावित होने से रास्ते में जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण नही किये जाने का हवाला देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत को निर्देशित कर सरहद मौजा सुरायता के खसरा नंबर 360 में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 392, 393 व 394 मे लाल स्याही से दर्शित डॉट–डॉट बंद रास्ता खुलवाने का आदेश प्रदान किया गया। किन्तु मौके पर बंद रास्ता खुलवाने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार को है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति एफ. 5(21) रैव/ग्रुप–4(80) (34) दिनांक 04.09.1982 के प्रथम पैराग्राफ के अनुसार यदि तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र ईजमेन्ट राईट के संबध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पंचायत को भिजवाया गया है और पंचायत को प्रार्थना पत्र. प्राप्ति के 45 दिन के अंदर उस पर निर्णय करना आवश्यक है। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन में निर्णय प्रदान नहीं करती है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तो पंचायत को कोई क्षेत्राधिकार उस मामले को निर्णय करने का नहीं होगा और पंचायत को ऐसे प्रार्थना पत्र को पुनः तहसीलदार को भिजवाना होगा, जो आवश्यक जांच कर ऐसे प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निर्णय करेगे। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रार्थना पत्र को तहसीलदार को नहीं पहुचाये, तो तहसीलदार को अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्र को पंचायत से मंगवाकर स्वंय निर्णय करे। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा मुकदमा संख्या 157/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली